फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** सिकराय जिला दौसा

लक्ष्मीनारायण बनाम राज0 सरकार

मु0नं0– 94 / 2024

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए.

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.ए. हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी लक्ष्मीनारायण पुत्र गयारसीलाल गुर्जर निवासी मास्टर वाली ढाणी फर्राशपुरा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा का निवासी है। आराजी खसरा नंबर 170, 186 वाके ग्राम फर्राशपुरा में प्रार्थी खातेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम लक्ष्मण एवं पिता का नाम ग्यारसा दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम एवं सभी दस्तावेजात में नाम लक्ष्मीनारायण गुर्जर पुत्र ग्यारसीलाल गुर्जर है जो कि सही है। उक्त गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। इसलिए प्रार्थी के सही नाम की राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि की जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार बहरावण्डा से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बहरावण्डा रिपोर्ट एवं मौका पर्चा ग्राम फर्राशपुरा में अंकित किया गया है कि लक्ष्मण पुत्र ग्यारसा एवं लक्ष्मीनारायण पुत्र ग्यारसीलाल दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र ग्यारसीलाल दर्ज है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम लक्ष्मण पुत्र ग्यारसा के स्थान पर लक्ष्मीनारायण पुत्र ग्यारसीलाल दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जाते है। तहसीलदार उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में पालना करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	